Non recognition <o Bharati (Bachelor of Arts) Degree by Central Governmeat

1722. SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Bharati (Bachelor of Arts) Degree of the Mahila Gram Vidyapith, Prayag (Allahabad) has been recognised by more than 20 Universities in India and the Government of Uttar Pradesh; and

(b) if so, what are the reasons for not recognising it by the Central Government for the purpose of employment in the Central Government Offices and Public Sector Undertakings?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI P. SHIV SHANKER): (a) and (b) Section 22 of the UGC Act 1956 provides that the right of conferring or granting Degree shall be excercises only by a univirsity established or incorporated by or unde$_r$ a Central Act, the Provincial Act or a State Act or an institution deemed to be a university under section 3 of the UGC Act or an institution specially empowered by an Act of Parliament to confe$_r$ or grant degrees. Under the Act, no institution other than a Universiy established under a Central Act or $_a$ State Act is entitled to have the expression "University" associated with its name. As Mahila Gram Vidyapith, Prayag is not a "University" under the above provisions of law, the question of recognition of degrees awarded by the Institution does not arise.

प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के अधीन संस्थानों को दिये गये अनुदान

1723. **श्री सुनील कुमार पटनायक :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के अधीन विभिन्न संस्थानों को संस्थानवार कितनी-कितनी राशि दी गयी ; उनका पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त संस्थानों द्वारा कितने केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं ; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त संस्थानों से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत साक्षरता के लिए बड़ी तादाद में कार्य कर रही स्वैच्छिक एजेंसियों को अनुदान दिये गये हैं ।

आंकड़े उस रूप में नहीं रखे जाते हैं जिस रूप में उसकी अपेक्षा की गई है । निजी एवं स्वैच्छिक संगठनों को दिये गये एक लाख रु. और इससे अधिक अनुदानों के ब्यौरे संसद में रखी गयी विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में प्रति वर्ष दिये जाते हैं।

देश के विभिन्न भागों में संस्थाओं को दी गई सहायता का अवलोकन संलग्न 1, 2 तथा 3 विवरणों से किया जा सकता है।

विवरण—1

1986–87 के दौरान स्वच्छिक एजेंसियों को दी गई सहायता का ब्यौरा

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वैच्छिक एजेंसियों की संख्या	(प्रौ. शि. के.) केन्द्रों की संख्या	दिया गया अनुदान (रुपयों में)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	6	250	4,70,950
असम	12	720	6,31,250

1	2	3	4
बिहार	5	265	6,20,835
गुजरात	59	4475	1,16,06,050
हरियाणा	9	900	23,71,500
हिमाचल प्रदेश	1	30	83,000
कर्नाटक	22	1140	26,25,350
केरल	1	5	12,450
मध्य प्रदेश	12	810	15,77,135
महाराष्ट्र	58	3060	74,86,410
मणिपुर	2	200	5,66,000
नागालैंड	2	10	24,900
उड़ीसा	17	600	12,93,700
पंजाब	3	120	2,68,750
राजस्थान	20	1380	27,56,050
तमिलनाडु	40	3920	1,12,45,685
उत्तर प्रदेश	85	4755	1,06,05,355
पश्चिम बंगाल	11	1020	21,64,750
दिल्ली	17	1785	35,54,860
कुल :	382	25445	5,99,64,980

विवरण—2

1987–88 के दौरान स्वैच्छिक एजेंसियों को दी गई सहायता का ब्योरा

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वैच्छिक एजेंसियों की संख्या	प्रौढ़ शि० केन्द्र की संख्या	अनुमोदित अनुदान
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	14	1540	67,92,30
असम	9	320	15,26,700
बिहार	5	320	13,70,000
गुजरात	38	2975	1,11,09,985
हरियाणा	4	830	30,91,000
कर्नाटक	29	2070	68,74,200
केरल	3	20	9,62,700
मध्य प्रदेश	1	600	26,19,400

1	2	3	4
महाराष्ट्र	23	655	22,52,585
मणिपुर	4	280	7,76,500
नागालैंड	1	5	12,450
उड़ीसा	19	990	36,74,300
पंजाब	1	15	47,185
राजस्थान	15	1810	63,82,850
तमिलनाडु	28	2930	1,02,69,000
उत्तर प्रदेश	82	5190	1,81,75,270
पश्चिमी बंगाल	11	1080	34,34,200
दिल्ली	14	1110	46,44,400
कुल :	301	23020	8,40,15,325

विवरण—3

वर्ष 1988–89 के दौरान स्वैच्छिक एजेंसियों को दी गई सहायता का ब्यौरा

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वैच्छिक एजेंसियों की की संख्या	प्रौ. शि. के. की संख्या	ज.शि.नि. की संख्या	दी गई सहायता
आन्ध्र प्रदेश	43	2520	60	1,61,41,200
असम	9	680	3	29,71,200
बिहार	11	755	13	34,56,550
गुजरात	42	2680	759	3,62,52,600
हरियाणा	8	290	87	24,76,100
कर्नाटक	20	1150	100	68,12,800
केरल	8	660	150	1,30,26,700
मध्य प्रदेश	3	660	0	28,86,700
महाराष्ट्र	33	1985	16	92,81,764
मणिपुर	4	400	22	2,0,59,000
उड़ीसा	17	720	14	32,69,000
पंजाब	3	460	10	21,45,600
राजस्थान	9	750	109	52,70,350
तमिलनाडु	30	970	293	98,52,900
उत्तर प्रदेश	74	2390	399	1,64,39,304
पश्चिम बंगाल	12	1450	75	72,29,395
दिल्ली	25	1730	9	80,98,550
कुल :	347	20250	2119	14,76,69,713